

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जांबा दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

अजयवीर सिंह बनाम निर्मला आदि

धारा अन्तर्गत 53 आरटीए मुकदमा नम्बर 234/2023

निर्णय दिनांक :- 10.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वयं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री जसकरण गोबारा के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व शोम 57 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोगयवर्गमिहपुर, की जमावदी मध्य 2074 ता 2077 के खाता संख्या 109/99 के मुख्या नम्बर 53 की कुल 6.196 हेक्टेयर भूमि में वाली के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है -

| नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत | राजस्व ग्राम | मु.न. | किला न. | रकबा | किस्म | लगान मयाग में |
|--|--------------|-------|---------|----------------|-------|---------------|
| अजयवीर सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गजसिंहपुर। (3.449 हेक्टेयर) | 57 एफ | 53 | 1 | 0.227 हेक्टेयर | नहरी | 1.62 |
| | | | 2 ता 9 | 2.024 हेक्टेयर | नहरी | 14.40 |
| | | | 10 | 0.227 हेक्टेयर | नहरी | 1.62 |
| | | | 11 | 0.227 हेक्टेयर | नहरी | 1.62 |
| | | | 12, 13 | 0.506 हेक्टेयर | नहरी | 3.60 |
| | | | 14 | 0.238 हेक्टेयर | नहरी | 1.69 |

शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 17.10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

| मुददर्द | रूपया | पैसा | मुदायली | रूपया | पैसा |
|-------------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अरजी | 00 | -- |
| स्टाम्प ड्यूटी | 200 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | -- |
| योग | 204 | 00 | योग | 00 | 00 |

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

क्रमांक: रीडर/ 2024/562

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योक्तदस्तावेज न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर